

राजस्थान सरकार
कृषि आयुक्तालय, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- प.2 (सब)4212/आ.कृ./गुप-9/

दिनांक

कार्यालय-आदेश

श्री आनन्द कुमार सैनी, सहायक कृषि अधिकारी कार्यालय, सहायक निदेशक कृषि (विस्तार) किशनगढबास को घरेलू परिस्थितियों के कारण स्वयं के प्रार्थना पत्र के आधार पर दिनांक 05.01.2021 से स्वेच्छक सेवानिवृत्त किया जाता है

यह प्रमाणित किया जाता है कि उपर नामित श्री आनन्द कुमार सैनी के विरुद्ध आज तक:-

- 1 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 2 राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लम्बित नहीं है।
- 3 कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लम्बित नहीं है।

(डा.ओमप्रकाश)
आयुक्त, कृषि, उधानिकी
एवं पंचायत राज (कृषि विभाग)
राजस्थान जयपुर

क्रमांक:-प.2(सब)/4212/आ.कृ./गुप-9/ 12450-56

दिनांक:- 01.01.2021

प्रतिलिपि:- सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निदेशक, पेंशन विभाग, जयपुर।
2. संयुक्त निदेशक कृषि (वि) भरतपुर।
3. उप निदेशक कृषि (ति) जिला परिषद, अलवर।
4. सहायक निदेशक कृषि (वि) किशनगढबास।
5. एनालिस्ट कम प्रोग्रामर, मुख्यालय जयपुर को विभागीय बैबसाइट पर अपलोड करने हेतु।
6. श्री आनन्द कुमार सैनी, सहायक कृषि अधिकारी, कार्यालय सहायक निदेशक कृषि (वि) किशनगढबास।
7. निजी पंजिका।

(उदयभान सिंह)
उप निदेशक कृषि (प्रशासन)